उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय विभाग

अनुभाग-7

अधिसूचना

12 मार्च, 1996 ई0

सं. 123/सात न्याय-7-96-45-90 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

नियमावली, 1996

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषायें- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) से है,

(ख) "मुख्य न्यायमूर्ति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से है,

(ग) "कार्यपालक अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से है,

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है,

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य यथस्थिति, राज्य प्राधिकरण के सदस्य या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य या किसी जिला प्राधिकरण के सदस्य या किसी तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य से है,

(ज) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव से है,

(झ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(ञ) "तहसील विधिक सेवा समिति" का तात्पर्य धारा 2 के खण्ड (८) में यथा परिभाषित तालुक विधिक सेवा समिति से है,

3. राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें-

(1) मुख्य संरक्षक और कार्यपालक अध्यक्ष के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण में सदस्य सचिव को सम्मिलित करते हुए सत्रह से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे-

(क) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।

(ख) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।

(ग) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव ।

(घ) सरकार के न्याय विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव ।

(ङ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

(च) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति आयोग ।

(छ) मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्टदो जिला न्यायाधीश।

(ज) अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश ।

* (झ) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

(ञ) पुलिस महानिदेशक, (अभियोजन) ।

(ट) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(ठ) सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव,

(ड) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(3) सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उपनियम (4) विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हताएं रखने वाले राज्य प्राधिकरण के सात अन्य सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकती हैं।

4. कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह-

(क) समाज के कमजोर वर्गों के, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे,ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, उत्थान में लगा हुआ कोई प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो,

---

*उ.प्र. सरकारी गजट सं. 1018/सात न्याय-7-2003-45 टी.सी. ख दिनांक 30-6-2003 द्वारा संशोधित

(ख) विधिक के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो।

(4) सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य- सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(क) अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं के हकदार किसी व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करना,

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों की रूपात्मकता की परिकलन और उनके प्रभावी अनुश्रवण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना,

(ग) सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक गृह प्रबन्ध, वित्त और आय-व्ययक के सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग करना,

(घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्ध करना,

(ङ) राज्य प्राधिकरण के लेखों का जिसमें उनकी सामयिक लेखा परीक्षा और जांच भी सम्मिलित है, सही और उचित रख-रखाव करना,

(च) राज्य प्राधिकरण का वार्षिक आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र तैयार करना,

(छ) सामाजिक कार्य समूह और जिला प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति से सम्पर्क करना,

(ज) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकी सूचना का जिसमें समय-समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों में की गयी प्रगति भी सम्मिलित है, रख-रखाव करना,

(झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का प्रसंस्करण करना और उनके उपभोग प्रमाण-पत्रों को निर्गत करना,

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित बैठकें सेमिनार और कार्यशाला का संयोजन करना और

ऐसी बैठकों सेमिनारों/कार्यशालाओं की रिपोर्ट तैयार करना, और उन पर की गयी कार्यवाही का अनुसरण सुनिश्चित करना,

(c) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य जनता को सूचित करने के लिए वीडियो वृत्त चित्रों, प्रचार सामग्रियो, साहित्यों और प्रकाशनों को प्रस्तुत करना,

(ठ) ग्रामीण विवादों के संकल्पों पर जोर डालना और ग्रामीणों के लिए उनके द्वार पर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण विधिक सेवाओं की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त अध्युपयाय करना,

(ड) ऐसे कृत्यों का, जो धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बनायी गई स्कीमों के अधीन उसे सौंपे गये हों, सम्पादन करना,

(ढ) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति के कृत्यों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना और अधिनियम के अधीन बनाए गये कार्यक्रमों और स्कीमों को क्रियान्वित कराने में उन्हे मार्ग-दर्शन औरआवश्यक सहायता प्रदान करना।

(ण) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करना जो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जायें और

(त) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का सम्पादन करना जो राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए समाचीन हो।

5. कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें - उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अवधारित की जायें।

6. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि और अन्य शर्तें - (1) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(2) के नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट राज्य किसी सदस्य को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है यदि सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बनाये रखना अपेक्षित न हो ।

(3) यदि मृत्यु हो जाने के कारण या अन्यथा राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय तो उसे इस नियमावली में दी गई रीति से पूर्वाधिकारी का अवशिष्ट अवधि के लिए भरा जाएगा।

(4) राज्य प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिए सभी सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे और उनका भुगतान धारा 29-क के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- यदि कोई सदस्य सरकारी सेवक है तो वह अपने मूल विभाग से या राज्य प्राधिकरण से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का मात्र एक समुच्चय पाने का हकदार होगा।

(5) सदस्य सचिव पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और जो पांच वर्ष से अनधिक पदावधि के लिए जो मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है, पद धारण करेगा।

(6) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, प्रसुविधा और हकदारी, अनुशासनात्मक विषयों और सेवा की अन्य शर्तों जैसे सभी मामलों में सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा।सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा।

(7) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या - (1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सचिव दो, विशेष कार्य अधिकारी और उपसचिव को सम्मिलित करते हुए संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परमार्श से अवधारित की जाए।

(2) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की, सचिव दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप-सचिव को सम्मिलित करते हुए संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन के आदेश न दिए जाएं, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

(3) उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और परामर्श बोर्ड में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कार्यरत सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव को सम्मिलित करते हुए सभी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी,ऐसे प्रारम्भ पर, राज्य प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

8. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें-

(1) सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव से भिन्न राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित किए जायें।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिया गया हैं

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और प्रसुविधाओं के हकदार होंगे जैसी सरकार द्वारा न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर व्यवस्थित की जाय।

(4) सचिव दो और विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के व्यक्तियों में से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी।

(5) उपसचिव की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी जो सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से निम्न श्रेणी का न हो।

(6) सेवा निवृत्त की आयु, वेतन और भत्ते, प्रसुविधा और हकदारी, अनुशासनात्मक मामलों और अन्य सेवा शर्तों जैसे सभी मामलों में सचिव दो, विशेष कार्य अधिकारी और उपसचिव उस सेवा की नियमावली से शासित होंगे जिससे वे सम्बन्धित हैं। सचिव दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होंगे।

(7) सचिव वो,विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव सेभिन्न, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबन्धन जब तक विहित नहीं होता है तब तक उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और अन्य सेवा शर्तें जिसमे अनुशासनात्मक मामले, छुट्टी भविष्य निधि और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं, वही होगी जैसी कि सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की है और उनसे सम्बन्धित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

9. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं--

कोई व्यक्ति तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक से निम्नवार श्रेणी का अधिकारी न हों।

10. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्ते वेतन और भत्ते

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होंगी जैसी मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सहायता और परामर्श समिति में, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व कार्यरत, सचिव से भिन्न सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी प्रारम्भ पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जैसे सरकार द्वारा मुख्य न्यायमर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाए।

(5) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "ख" दिये गए है।

(6) जब तक उच्च न्यायालयविधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते विहित न होजाएं, उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और अन्य सेवा की शर्ते,जिसमें अनुशासनात्मक मामले, छुट्टी भविष्य निधि और अन्य मामले भी सम्मिलित है, ऐसी होंगी जैसी कि सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की हैं और उनसे संबंधित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उच्चन्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी को ऐसी अन्य सुविधाएं, भत्ते और प्रसुविधा प्राप्त होंगी जैसी सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाए।

11. जिला प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएँ

(1)किसी जिला प्राधिकरण में बारह से अनधिक अन्य सदस्य होंगे।

(2) उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त किसी जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे।

क. जिला मजिस्ट्रेट

ख. यथास्थिति ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक,

ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घ. जिला सरकारी काउन्सेल (सिविल),

ङ. जिला सरकारी काउन्सेल (दाण्डिक),

च. जिला सरकारी काउन्सेल (राजस्व),

* छ. मुख्य चिकित्साधिकारी,

ज. जिला समाज कल्याण अधिकारी,

झ. जिला सूचना अधिकारी,

ञ. जिला ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ।

(3) सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी जिला प्राधिकरण के छः अन्य सदस्यों को उपनियम (4) में विर्निदिष्ट अनुभव और अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट कर सकती हैं।

(4) कोई व्यक्ति किसी जिला प्राधिकरण के सदस्य केरूप में तब तक नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह-

(क) कोई ऐसा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाएं, बच्चें, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, के. उत्थान में लगा हुआ हो, या (ख) विधि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) कोई ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध हो।

12.जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या--

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या उतनी होगी जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित की जाये।

---

*उ.प्र. सरकारी गजट सं. 1018/सात न्याय-7-2003-45 टी.सी. ख दिनांक 30-6-2003 द्वारा संशोधित ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन किये जाने के आदेश न दिये जाएं जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

(3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी जिले में विधिक सहायता और परामर्श समिति में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ पर जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

13. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें-

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों को पाने के हकदार होंगे जैसा सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित किये जायें।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "ग" में दिये गए हैं।

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुवधायें, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं को पाने के हकदार होंगे जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित किये जायें।

(4) जब तक जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्यकर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित नहीं होती है,उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमेंअनुशासनात्मक मामले, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषयसम्मिलित हैं, वहीं होंगी जैसी कि सरकारी सेवा में उसी श्रेणी केअधिकारियों और कर्मचारियों की है और उनसे सम्बन्धित नियमयथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

14. तहसील विधिक सेवा समिति के अन्य सदस्यों कीसंख्या, उनका अनुभव और उनकी अर्हताएं-

(1) किसी तहसील विधिक सेवा समिति में पांच से अधिकसदस्य नहीं होंगे।

(2) उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्ततहसील विधिक सेवा समिति में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे-

क. तहसील का उपखण्ड अधिकारी,

ख. तहसील की स्थानीय सीमाओं में तैनात ज्येष्ठतम
राजपत्रित पुलिस अधिकारी,

(3) सरकार मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उपनियम (4) मेंविनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से तहसीलविधिक सेवा समिति के तीन अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

(4) कोई व्यक्ति तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य केरूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह-

(क) कोई प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो सम्बन्धिततहसील की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थायी रूप से निवास करताहो और समाज के कमजोर वर्गों के जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, उत्थान में लगा हुआ हो,

(ख) विधि के क्षेत्र में प्रख्यात न हो, या

(ग) कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीम केकार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध हो ।

15. तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या -

(1) किसी तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों न्यायमूर्ति के की संख्या ऐसी होगी जैसी कि सरकार द्वारा मुख्य परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाय।

अन्य कर्मचारी

(2) किसी तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे जैसा कि सरकार जायें। द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित किये

(3) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और प्रसुविधाओं के हकदार होंगे जैसी कि सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाए।

(4) जब तक कि तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते विहित न की जाएं, उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और सेवा की

अन्य शर्ते जिसमें अनुशासनात्मक मामले, अवकाश भविष्य निधि और अन्य मामले भी सम्मिलित है, सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान ही होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16. किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा जो उसे विधिक सेवाओं का हकदार ठहराती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में हो

कोई व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय सभी श्रोतों से पच्चीस हजार रूपये या ऐसी उच्चतर धनराशि जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, से न हो, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में हो, अधिनियम के अधीन विधिक सेवायें प्राप्त करने का हकदार होगा।

17. धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अर्हताएँ

कोई व्यक्ति लोक अदालत की पीठ में सम्मिलित किये जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह-

(क) प्रख्यात समाज सेवी न हो जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों को सम्मिलित करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में हो, या

(ख) प्रतिष्ठा प्राप्त वकील न हो, या

(ग) ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो कि विधिक सेवाओं, स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूचि रखता हो।

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	सचिव-दो	1	उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अनुमन्य वेतनमान
2	विशेष कार्य अधिकारी	1	तदैव
3	उप सचिव	2	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अनुमन्य वेतनमान
4	निजी सचिव	1	रु. 2000-60-230-द.रो.-75-3200
5	निजी सहायक	3	रु. 1640-60-2600-द.रो.-75-2900
6	आशुलिपिक	2	रु. 1200-30-1560-द.रो.-2040
7	प्रशासनिक अधिकारी	1	रु. 1640-60-2600-द.रो.-75-2900
8	प्रवर वर्ग सहायक	3	रु. 1350-30-1440-40-1800-द.रो.-50-2200
9	लेखा लिपिक	1	रु. 1200-30-1560-द.रो.-40-2040
10	ज्येष्ठ लिपिक	1	रु. 1200-30-1560-द.रो.-40-2040
11	टंकक	2	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
12	कनिष्ठ लिपिक	3	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
13	पुस्तकालय लिपिक	1	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
14	अर्दली/चपरासी	10	रु. 750-12-870-द.रो.-14-940
15	दफतरी मशीन आपरेटर	1	रु. 775-12-955-द.रो.-14-1025
16	ड्राइवर	1	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
17	सेवक	1	रु. 35.00 रुपये प्रतिदिन
18	स्वीपर सह फर्राश	1	रु. 500 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन

परिशिष्ट "ख"

{नियम 10 (2) और 8(5) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	2	3	4
1.	लिपिक	2	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
2.	अर्दली	2	रु. 750-12-870-द.रो.-14-940

परिशिष्ट "ग"

{नियम 12 (2) और 13 (2) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	2	3	4
1.	लिपिक	66	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
2.	चपरासी	66	रु. 750-12-870-द.रो.-14-940